



# महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

## छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र

(नोट – आवेदन पत्र अपूर्ण न छोड़ें। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा)

1. प्रवेशार्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती (हिन्दी में).....  
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
2. पिता/पति का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. कक्षा .....
5. स्थायी पता.....  
(वर्तमान निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....
6. स्थानीय अभिवावक का नाम..... सम्बन्ध .....
7. स्थानीय पता.....
8. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के हैं.....  
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
10. छात्र/छात्रा का मो0 नं0-..... पिता/अभिवावक का मो0 नं0.....
11. पिन कोड-

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

### (कार्यालय द्वारा भरा जाय)

1. छात्रावास शुल्क जमा करने की रसीद संख्या .....
2. छात्रावास शुल्क जमा करने की तिथि.....
3. छात्रावास का नाम .....
4. आवंटित कक्ष संख्या .....

लिपिक के हस्ताक्षर

गृहपति के हस्ताक्षर

मुख्य गृहपति के हस्ताक्षर

### (मुख्य विनयाधिकारी कार्यालय हेतु)

1. प्रवेशार्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती (हिन्दी में).....  
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
2. पिता/पति का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. कक्षा .....
5. स्थायी पता.....
6. स्थानीय अभिवावक का नाम..... सम्बन्ध .....
7. स्थानीय पता.....
8. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के हैं.....
9. छात्रावास का नाम..... आवंटित कक्ष संख्या .....

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर

गृहपति के हस्ताक्षर

## विभागाध्यक्ष की संस्तुति

श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

कक्षा ..... खण्ड ..... का  
विभाग में प्रवेश हो चुका है। मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है।

प्रवेश शुल्क रसीद संख्या .....

दिनांक .....

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर

---

## कुलानुशासक की संस्तुति

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

..... कक्षा ..... ,खण्ड.....

का आचरण सन्तोषजनक है। मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है।

दिनांक .....

कुलानुशासक के हस्ताक्षर

मुहर

# महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ , वाराणसी

## छात्रावास नियमावली

1. छात्रावास में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ , वाराणसी के संस्थागत छात्र/छात्रा ही रह सकते हैं। विशेष स्थिति में स्ववित्तपोषित के छात्र/छात्राओं के आवेदन पर विचार होगा।
2. छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए निर्धारित छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण एवं स्पष्ट भरकर निश्चित तिथि तक जमा करना होगा।
3. छात्रावास शुल्क आवंटन के समय ही पूरे सत्र का एक-साथ देय होगा।
4. गृहपति को विशेष स्थिति में बिना कारण बताये किसी छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्रा का कक्ष परिवर्तन तथा आवंटन रद्द करने का विशेषाधिकार होगा।
5. किसी शोध छात्र/छात्रा को पंजीकरण तिथि से दो वर्षों के लिए अथवा शोध प्रबंध जमा करने की तिथि तक ( जो भी पहले समाप्त हो ) छात्रावास में रहने की अनुमति होगी। यदि निर्देशक की संस्तुति पर शोध कार्य की अवधि बढ़ाई जाती है तो इस अवधि में छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दो वर्ष की अवधि के उपरान्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. छात्रावास में आवासित छात्र/छात्राओं को छात्रावास परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र प्रक्रिया छात्रावास आवंटन के समय ही पूर्ण कर ली जायेगी।
7. गृहपति की संस्तुति पर छात्र/छात्रा को केवल साईकिल रखने की अनुमति दी जा सकती है।
8. छात्रावास में कोई भी छात्र किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र या अन्य शास्त्रास्त्र ( चाहे लाइसेन्स युक्त ही क्यों न हो ) नहीं रख सकेगा , अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रावास के अन्दर किसी प्रकार के नशीले पदार्थ ( ड्रग्स ) का प्रयोग वर्जित होगा। किसी भी छात्र के कमरे में पाये जाने पर तत्काल उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय से निष्कासन के लिए संस्तुत कर दिया जायेगा।
9. किसी भी छात्र को अपने कक्ष में किसी भी अतिथि या संबंधी को रखने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित गृहपति की अनुमति से ही अधिकतम दो दिन तक ठहरा सकता है। बिना अनुमति के किसी भी कमरे में कोई व्यक्ति पाया गया तो उक्त कमरे का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उससे अर्धदण्ड रुपये 200/- लिया जायेगा।
10. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द रहेगा। इस अवधि में गृहपति की विशेष आज्ञा से ही कोई छात्र आ जा सकेगा।
11. किसी भी छात्र के कक्ष में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
12. अवकाश और अन्य अवसरों पर घर या बाहर जाने के लिए गृहपति के अतिरिक्त मुख्य गृहपति की भी अनुमति अनिवार्य होगी तथा वापस आने पर गृहपति को सूचित करना होगा।
13. किसी भी परिस्थिति में महिला आगन्तुक , अतिथि या संबंधी को पुरुष छात्रावासों में तथा पुरुष आगन्तुक , अतिथि या संबंधी को महिला छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन गम्भीर दण्डनीय अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
14. प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना होगा जिसका निरीक्षण प्रतिदिन गृहपति करेंगी।
15. विशेष परिस्थिति में उन्हें बाहर जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वे लिखित रूप से समुचित कारणों के आधार पर गृहपति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर चुकी होंगी।
16. किसी भी छात्रा को कमरे में अतिथि ठहराने की अनुमति नहीं होगी।
17. रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक महिला छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द रहेगा। इस अवधि में गृहपति की विशेष आज्ञा से ही कोई छात्रा आ जा सकेगी , आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
18. किसी भी स्थिति में किसी भी छात्रावास में कोई भी छात्र/छात्रा भोजन नहीं पका सकेगा/सकेगी और न ही प्रेस/हीटर/गैस सिलेण्डर इत्यादि का उपयोग कर सकेगा/सकेगी , अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
19. अनुशासनहीनता या अनियमितता के विषय में छात्रावासों के अधिकारियों की समिति सम्यक विचार करके निर्णय लेगी , विशेष स्थिति में मुख्य गृहपति को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. छात्रावास में रहने वाले व्यवस्था से संबंधित छात्रावास के किसी अधिकारी या कर्मचारी से किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार नहीं करेंगे और न ही छात्रावास के कार्यालय के क्रिया कलापो में अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा करने पर दोषी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
21. छात्रावास में गोलबंदी करना , छात्रों को उकसाना , उपद्रव करना , तोड़ – फोड़ करना , अभद्र व्यवहार करना , अश्लील भाषा एवं गाली-गलौज का प्रयोग करना सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा , ऐसा करने वाले/वाली छात्र/छात्राओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
22. भोजन शुल्क के रूप में चालू सत्र में निर्धारित राशि एक साथ देय होगा। कर्मचारियों के भागने या आकस्मिक परिस्थिति पैदा होने पर भोजन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
23. छात्र/छात्रा को आवंटित कक्ष में रखे गए उसके मोबाइल , लैपटॉप , पैसा अथवा अन्य निजी वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।
24. छात्रावास आवंटन हेतु होने वाली कॉउंसिलिंग में अभिभावक ( माता/पिता ) का रहना अनिवार्य है।

### शपथ-पत्र

मुझे नियमावली की उपरोक्त सभी शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। मैं इनका अक्षयः पालन करूँगा/करूँगी। विश्वविद्यालय/मुख्य गृहपति द्वारा दिये गये निर्देश पर कक्ष खाली कर दूँगा/दूँगी। नियमावली का अनुपालन न करने पर तथा किसी भी तथ्य को छिपाने का दोषी पाये जाने पर विश्वविद्यालय/मुख्य गृहपति को मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा।

अभिभावक का स्पष्ट हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का स्पष्ट हस्ताक्षर

नोट :- यह नियमावली 10/- रुपये के स्टाम्प पर देना अनिवार्य है।